

# प्रेस नोट दिनांक 31.01.2025

## (ऑपरेशन कन्विकशन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ हत्या के दोषी 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 20000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 15.04.2021 को धारा 302 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अमित चन्द्र पुत्र मनोज निवासी फगुईया थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 85/2021 धारा 302 भादवि थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" विशेष अभियान के तहत श्री आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मानिट्रिंग सेल प्रभारी आकाश त्रिपाठी, आरक्षी मुकेश यादव, आरक्षी शशिकांत व श्री जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी) व थाना चंदौली के पैरोकार का0 श्याम कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.अमित चन्द्र पुत्र मनोज निवासी फगुईया थाना व जिला चन्दौली को आजीवन कारावास व 20000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

## (ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ दहेज हत्या के दोषी 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 04.07.2019 को धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.धरमजीत पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम बनरसिया थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 149/2019 धारा 498ए,304बी, भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना चकिया के पैरोकार हे0का0 बीर बहादुर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.धरमजीत पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम बनरसिया थाना चकिया जनपद चन्दौली को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।